प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा।

सेवा में,

उप निदेशक,
जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक,
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

पत्रांकः 3683 /जि0पं0आ0/वर्ष 2024—25 दिनाँक— 11-12-24

महोदय,

शासन द्वारा समस्त जिला पंचायतों से उनके यहाँ लागू/प्रभावी लाइसेंस उपविधि(यों) की सत्यापित सूची चाही गयी है।

उक्त के क्रम में जिला पंचायत, आगरा में लागू/प्रभारी लाइसेंस उपविधि(यों) की सत्यापित सूची प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा।

दुकान

O.K.

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

9 जुलाई, 1997 ई०

सं० 3616/इक्कीस-13 (3)-83-84--जिला पंचायत, आगरा द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या 3706/इक्कीस 13(3)-83-84, दिनांक 14 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की दुकान करने के कार्य को विनियमित करने हेतु उपविधियों में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) खण्ड 'घ' के उपखण्ड (घ एवं ङ) के अधीन वर्तमान उपविधि में संशोधन प्रस्तावित किया है। अतः मैं, सुधीर कुमार, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इनकी पुष्टि करते हुए इनको प्रकाशित करता हूं :

उपविधियां

1—संक्षिप्त नाम एवं विस्तार--(1) इन उपविधियों का नाम जिला पंचायत, आगरा दुकानात एवं अन्य व्यवसाय नियन्त्रण उपविधियां कहलायेंगी।

(2) इन उपविधियों का कार्यक्षेत्र अधिनियम की धारा 2 में दी गई परिभाषा संख्या 40-ख के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से माना जायेगा।

(3) इन उपनियम के विषय में प्रयोग किये जाने वाले शब्दों की परिभाषा जहां उपयुक्त होगी वही मानी जायेगी जो कि क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की अधिनियम की धारा में परिभाषित हैं।

(4) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने से इस विषय में पूर्व पारित उपविधियां इस स्तर तक संशोधित समझी जायेंगी।

2—परिभाषायें--(1) दुकान का तात्पर्य उस व्यापारिक स्थान से है जहां कोई भी वस्तु या पदार्थ क्रय-विक्रय किया जाता है। इसके अन्तर्गत सामान्य लोक में आने वाले जनरल स्टोर भी सम्मिलित है।

(2) व्यवसाय का तात्पर्य उस व्यापारिक क्रिया से है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी शुल्क या फीस के बदले कोई सेवा दे, प्रतिबन्ध यह है कि यह व्यवसाय राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिबन्धित न हो।

(3) नौकर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उपरोक्त के (1) व 2 में परिभाषित दुकान या व्यवसाय में ... या पूर्णकालिक वेतन पर तैनात किया गया हो।

(4) ... का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि उक्त दुकान या व्यवसाय का मालिक, पार्टनर, मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड संस्थान के प्रकरण में इस श्रेणी में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रोप्राइटर भी हैं एवं पब्लिक लिमिटेड संस्थान की दशा में डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर भी सम्मिलित हैं।

सामान्य प्रतिबन्ध--(अ) कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की छूत की बीमारी से ग्रसित होगा किसी भी प्रकार की दुकान या व्यवसाय न कर सकेगा एवं न ही ऐसे किसी व्यक्ति या रोगी को नौकर रख सकेगा।

(ब) खाद्य पदार्थ रखने व बनाने हेतु किसी ऐसे धातु के बर्तनों का प्रयोग वर्जित होगा जिससे खाद्य पदार्थ के विकृत या दूषित होने की सम्भावना हो या जिन पर रखा गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकता है।

(स) खाद्य पदार्थ को इस प्रकार ढक कर रखा जावेगा ताकि उस पर धूल, मक्खी, जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य जीवाणु न बैठ सकें। दुकान करने या अन्य व्यवसाय करने वाला व्यक्ति या व्यवसाय के अन्तर्गत करने वाला कोई भी ज्वलनशील पदार्थ रखा जाता है चाहे वह बिक्री के लिए हो या संग्रह के लिये हो तो वह आग से सम्भावित दुर्घटना से बचाव के पर्याप्त साधन रखेगा जिसके अन्तर्गत समुचित मात्रा में रेत का संग्रह सम्मिलित होगा।

(द) दुकान या अन्य व्यवसाय स्थान के अहाते के अन्तर्गत समुचित सफाई व्यवस्था रखनी अनिवार्य होगी एवं उसमें से निकलने वाली नाली या जल रिसाव के अन्य स्रोत ढक रहेंगे एवं वे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले नहीं छोड़े जायेंगे।

(य) दुकान या अन्य व्यवसाय स्थान को जहां विशेषकर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही जिससे मानव सुविधा उत्पन्न होती है, में किसी प्रकार का दूषण या गन्दगी नहीं होगी।

(र) प्रत्येक दुकानदार या व्यवसायी को अपने प्रतिष्ठान के आगे प्रतिष्ठान का नाम व स्थान एवं स्वामी का नाम लिखना अनिवार्य होगा। यह इस प्रकार लिखा जायेगा जिसे प्रत्येक व्यक्ति सुगमतापूर्वक पढ़ सके।

(ल) इन उपविधियों के अन्तर्गत मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लाइसेन्स अधिकारी होंगे। लाइसेन्स देने, निरस्त करने एवं स्थगित करने की कार्यवाही में कार्य अधिकारी, जिला पंचायत की संस्तुति ली जायेगी जो कि कार्य अधिकारी द्वारा निश्चित समय पर न देने पर लाइसेन्स अधिकारी को कार्यालय की आख्या पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(व) लाइसेन्स अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स को निलम्बित या निरस्त करने का अधिकार होगा किन्तु लाइसेन्सधारी, ऐसा किए जाने पर 30 दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(क) लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेन्सधारी को अपना लाइसेन्स नवीनीकरण कराने हेतु प्रतिबन्ध है कि वह अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक करा ले अन्यथा 1 मई से 30 जून तक लाइसेन्स शुल्क पर 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा तथा 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क वसूल होगा। यदि कोई व्यवसायी लाइसेन्स प्राप्त नहीं करता है तो या उसको लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए कार्यालय में नोटिस भेजे जाने की यू0पी0सी0 सनद है तो ऐसी दशा में उसे लाइसेन्स बनवाने का शत-प्रतिशत विलम्ब शुल्क उन वर्षों में देय होगा जिन वर्षों में लाइसेंसधारी ने लाइसेन्स नहीं बनवाया है। यह प्रतिबन्ध किसी व्यवसायी को यह अधिकार नहीं देगा कि वह कार्यालय के नोटिस प्राप्ति पर लाइसेन्स नहीं बनवाता है तो उसके विरुद्ध चालान सम्बन्धी कार्यवाही न की जाये।

(ख) जिला पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह इन उपविधियों के अधीन किसी विशेष क्षेत्र के या किसी विशेष मदों के लाइसेन्स शुल्क की उगाही का ठेका देकर वसूल करने का निर्णय ले। ऐसी दशा में लाइसेन्स शुल्क की वसूली का ठेका बोली द्वारा निर्धारित होगा। नीलाम समिति में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्य अधिकारी, जिला पंचायत एवं लेखाधिकारी, जिला पंचायत होंगे। ठेके को स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार जिला पंचायत में निहित होगा।

(ग) जिला पंचायत या राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी या सार्वजनिक सेवक किसी भी दुकान या व्यवसाय के स्थान पर बिक्री या अन्य व्यवस्था हेतु उपलब्ध सामग्री या सुविधा के निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सामग्री को नष्ट कर सकेंगे।

(1) अध्यक्ष, जिला पंचायत या जिला पंचायत का कोई भी सदस्य जिसको अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया हो।

(2) अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत के चिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वितीय अथवा शासन के स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो कि स्वास्थ्य निरीक्षक के पद से कम स्तर का न हो।

(3) उक्त प्राविधानों के आधार पर निम्नलिखित सूची में प्रत्येक मद के समक्ष उल्लिखित दर से लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जायेगा :

	मद का नाम	वर्तमान दर	पंचायत द्वारा स्वीकार की गई दर
	1	2	3
		रु0	रु0
1	कपड़े की दुकान	20.00	500.00
2	परचून की दुकान	20.00	250.00
3	परचून, कपड़ा व अन्य सामान संयुक्त दुकान यानि जनरल स्टोर	30.00	500.00
4	गल्ला किराने की दुकान	40.00	500.00
5	सोना-चान्दी की दुकान (जिसमें आभूषण बनाना भी सम्मिलित है)	25.00	1000.00
6	केमिस्ट अथवा मेडीकल स्टोर	25.00	500.00
7	केमिस्ट अथवा मेडिकल थोक एजेन्सी	..	1000.00
8	होटल, ढाबा लिंक रोड पर या अन्य स्थान पर	15.00	400.00
9	होटल, ढाबा जिले के हाइवे या राज मार्ग पर	15.00	500.00
10	हलवाई की दुकान	15.00	250.00
11	केवल चाय की दुकान	10.00	50.00
12	पान, बीड़ी, सिगरेट का खोखा या दुकान	5.00	50.00
13	शरबत, लस्सी या अन्य पेय की दुकान	8.00	200.00
14	केवल घी, डालडा या अन्य किसी खाद्य तेल की दुकान	15.00	500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, [illegible]

1	2	3
	रु0	रु0
15 स्टेशनरी, पुस्तकों की दुकान (थोक)	15.00	250.00
16 स्टेशनरी, पुस्तकों की दुकान (फुटकर)	15.00	100.00
17 मिट्टी के बर्तन की दुकान	..	मुफ्त
18 लोहे, स्टील, प्लास्टिक के बर्तन चीनी को व प्लास्टिक क्राकरी की दुकान	..	500.00
19 रेडीमेड गारमेन्ट, ऊन की दुकान	15.00	500.00
20 फर्नीचरमार्ट अथवा लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कनसेट का फर्नीचर बनाना शामिल हो .	25.00	500.00
21 ईंधन जिसमें कोयला या मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस शामिल हो की दुकान	115.00	500.00
22 ईंधन हेतु लकड़ी की दुकान	10.00	200.00
23 लकड़ी से कोयला बनाने की दुकान	..	400.00
24 नाई की दुकान	..	50.00
25 कपड़े धोने एवं धोबी की प्रेस की दुकान	..	50.00
26 फल सब्जी की दुकान	10.00	100.00
27 केवल सब्जी की दुकान	..	50.00
28 सब्जी का ठेला	..	मुफ्त
29 टेलर की दुकान (पांच मशीन तक)	..	300.00
30 टेलर की दुकान (पांच मशीन के ऊपर)	..	500.00
31 बिजली के सामान की दुकान	..	350.00
32 ऑडियो कैसेट की दुकान	..	300.00
33 वीडियो कैसेट की लाइब्रेरी	..	400.00
34 ऑडियो कैसेट व वीडियो लाइब्रेरी दोनों	..	500.00
35 टी0 वी0 व वीडियो कैसेट विक्रेता	..	1000.00
36 टेन्ट, शामियाना व किराये पर बर्तन देने की दुकान	..	1000.00
37 रिपेयर वर्कशाप, ट्रैक्टर, कार, ट्रक मिकेनिक	..	500.00 इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस श्रेणी में ट्रैक्टर मैकेनिक मुक्त रखे जावेंगे।
38 स्कूटर व मोटर साइकिल मिकेनिक	..	150.00
39 साइकिल मिकेनिक	..	200.00
40 खाद व सीमेन्ट	..	700.00
41 राशन की दुकान	..	250.00
42 चलचित्र जिसमें प्रोजेक्टर या विडियो से पिक्चर दिखाना शामिल है	..	1000.00
43 फोटोग्राफर की दुकान	..	300.00
44 बैंडबाजे की दुकान	..	300.00
45 निजी पी0 सी0 ओ0	..	मुफ्त
46 नर्सिंग होम (10 बेड) तक	..	1000.00
47 नर्सिंग होम (10 बेड के ऊपर)	..	2000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

1	2	3
	रु0	रु0
48 प्रसूति-गृह (10 बेड तक)	..	1000.00
49 प्रसूति गृह 10 बेड से ऊपर	..	2000.00
50 प्राइवेट क्लीनिक डाक्टर की दुकान	..	500.00
51 पैथालोजी सेन्टर	..	500.00
52 एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड क्लीनिक	..	500.00
53 डेन्टल क्लीनिक	..	500.00
54 सीमेन्ट से बने सामान की दुकान	..	500.00
55 खड़िया चाक की दुकान	..	मुक्त
56 घड़ी की दुकान	..	100.00
57 रेडियो, टी0 वी0 मरम्मत की दुकान	..	100.00
58 रेडियो, टी0 वी0 घड़ी बेचने की दुकान	..	250.00
59 मोटर व मशीनरी पार्ट की दुकान	..	500.00
60 देशी शराब की दुकान	..	5000.00
61 अंग्रेजी शराब की दुकान	..	6000.00
62 दूध की डेरी		500.00
63 चिप्स मारबल की दुकान	..	500.00
64 लोहे, गाटर, सरिया, फाटक की दुकान	..	500.00
66 टाइपिंग इन्स्टीट्यूट	..	200.00
66 वह गोश्त जो किसी नियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है को बेचने की दुकान	..	500.00
67 ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	..	1000.00
68 ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	..	3000.00
69 गुड़ा (थोक विक्रेता)	..	200.00
70 गुड़ा (फुटकर विक्रेता)	..	मुक्त
71 प्रिंटिंग प्रेस की दुकान	..	500.00
72 जूता चप्पल की दुकान	..	500.00
73 बेकरी भट्ठी	..	500.00
74 बेकरी भट्ठी (पावर)	..	1000.00
75 विज्ञापन एजेन्सी	..	1000.00
76 डेरी/मुर्गी फार्म	..	मुक्त
77 लाटरी स्टाल	..	500.00
78 पान मसाला, सिगरेट बीड़ी की एजेन्सी	..	1000.00
79 टायर एजेन्सी	..	4000.00
80 टायर फुटकर विक्रेता	..	2000.00 इस प्रतिबन्ध के साथ कि केवल मोटर कार एवं ट्रक टायर की दुकान पर यह शुल्क देय होगा ।
81 फल एवं सब्जी की आढ़ती	..	150.00 जिला पंचायत द्वारा निर्देशित ।

दण्ड

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, आगरा आदेश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों की किसी उपविधि का पूर्ण अथवा आंशिक उल्लंघन करेगा वह रु0 1000.00 दण्ड का भागी होगा तथा प्रथम दण्ड के पश्चात निरन्तर उल्लंघन की दशा में रु0 50.00 प्रतिदिन दण्ड दिया जायेगा जब तक कि वह उल्लंघन जारी रहेगा । जुर्माना न देने की दशा में 3 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है ।

सुधीर कुमार,
आयुक्त
आगरा मण्डल, आगरा ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

06 मई 2001 ई0

1334/इक्कीस(1)82–83–उत्तर प्रदेश अधिनियम तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 तथा संशोधित की धारा 239 (1) के साथ पठित 239 (2) उपखण्ड "घ" "ग" एवं खण्ड के साथ पठित "छ" "ज" एवं धारा गये अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत अधिकार द्वारा जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों को कार्यरत अथवा भविष्य में स्थापित क्षेत्र के कारखानों एवं सम्भरण–स्थलों को नियन्त्रित उद्देश्य से उपविधियाँ बनाई गयी है।

उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन अधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उपविधियों की पुष्टि करता हूँ तथा इन्हें प्रकाशित करता हूँ।

उपविधियाँ

1–इन उपविधियों का नाम जिला पंचायत,आगरा कारखाना एवं सम्भरण स्थल नियन्त्रण उपनियम कहलायेगा।

1–इन उपविधियों का कार्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 2 में दी गयी परिभाषाओं संख्या 39 के "ख" अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में लागू होगा।

3–इन उपविधियों के विषय में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न शब्दों की परिभाषा जहाँ उपयुक्त होगा वही मानी जायेगी जो कि जिला पंचायत अधिनियम की धारा–2 में परिभाषित है।

4–इन उपविधियों के प्रवृत्त होने से इस विषय में पूर्व में पारित उपविधियां इस स्तर तक संशोधित समझी जायेगी।

भाग–1 परिभाषाऐं

1–स्वामी का अर्थ उक्त संदर्भित प्रतिष्ठान, के मालिक प्रबन्धक, मुंशी, मुनीम, निरीक्षक तथा उस व्यक्ति से है जो सम्बन्धित कारखानें या संभरण करने के स्थान का देखरेख करने के लिए नियुक्त हो। इसमें प्राईवेट लिमिटेड संस्थान के प्रकरण में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा पब्लिक लि0 संस्थान की दशा में मैनेजिंग डायरेक्टर एंव डायरेक्टर भी सम्मिलित है।

2–कारखाना एवं सम्भरण स्थल का अर्थ फैक्ट्री,कारखाना या अन्य उत्पादन के साधन से सम्बन्धित अहाता तथा उससे सम्बन्धित पूरी सीमाओं की भूमि में है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन क्रिया सम्बन्धी जल बिजली (ऊर्जा) तेल पैट्रोल, डीजल, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। एंव चाहे उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हों । सम्भरण स्थल का तात्पर्य उस स्थान से है एवं उसके तत्सम्बन्धी अधिकार है जिसमें किसी भी प्रकार से वस्तु का सम्बन्ध उसी क्रय विक्रय के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

भाग–2

उक्त परिभाषाओं एंव अधिनियम में दिये गये नियमों के अन्तर्गत निम्न क्रमांको के सम्मुख उल्लिखित व्यवसायों को सूचीबद्ध करते हुए उनके आगे अंकित राशि में लाईसेंस शुल्क नियुक्त किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम मद	वर्तमान दर (रू0)	जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत की गयी दर (रू0)
1	आरा मशीन	0	1000
2	एक्सपेलर	50	1000
3	ऊँन/ रूई धुनने चापल कपास मशीन तेल कोल्हू	35	100
4	खरसद् या वर्मा मशीन या दोनों (लोहे की)	35	500
5	वैल्डिंग मशीन		100
6	रन्दा मशीन	35	50
7	हवा मशीन	35	मुफ्त
8	सरिया बनाने का कारखाना	150	6000
9	लोहा बनाने का कारखाना (आईरन फाउण्ड्री)	200	6000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा

10	वर्फ बनाने का कारखाना	200	5000
11	पेंप बनाने का कारखाना	200	10000
12	आइसक्रीम बनाने का कारखाना	200	500
13	भुना अथवा कागज बनाने का कारखाना	200	2000
14	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	250	5000
15	आर0आर0सी0 पाइप बनाने का कारखाना	100	2000
16	मशीन के पुर्जे एवं नट बोल्ट बनाने का कारखाना	100	2000
17	कोल्ड स्टोरेज	300	5000
18	पत्थर ईट रोड़ी सुरखी चूना बनाने का कारखाना	160	1000
19	पत्थर की कटाई या पिसाई का कारखाना	300	
20	लौह की ढ़लाई हेतु ईट आदि बनाने की भट्टी	200	
21	कोयला आदि पिसाई का कार खाना		मुफत
22	रबड़ की वस्तुऐं बनाने का कारखाना	100	1000
23	चीनी के वर्तन कॉकरी, चूड़ी तथा कॉंच की वस्तुए बनाने का कारखाना	200	2000
24	चम्बल सैंड एंव बालू का संकलन		2000
25	पत्थर की आढ़त		2000
26	पीतल एल्युमिनयम, टीन ,ताँबा या अन्य धातु की वस्तुए बनाने का कारखाना	200	2000
27	वनस्पति घी बनाने का कारखाना		
28	शराव स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	2500	5000
29	प्लास्टिक की वस्तुऐं बनाने का कारखाना	250	1000
30	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	30	1000
31	जिन्स मूल बीज का कर उसको बीज में परियर्तित करन का कारखाना		2000
32	साढ़सारी उद्योग के पुर्जे बनाने का कारखाना	100	500
33	केवल डीजल अथवा पैट्रोल का पम्प	200	1500
34	डीजल पैट्रोल का संयुक्त पम्प		3000
35	गैस कुकिंग गैस फिलिंग स्टेशन		2000
36	कुकिंग गैस फिलिग स्टेशन		2000
37	जूता उद्योग बड़ी जो विभाग से लघुउद्योग या उससे बडे उधोग में दर्ज हो, जिसके अन्तर्गत सील बनाना भी हो।		2000
38	जूता कुटीर उद्योग		500
39	फर्टिलाइजर अथवा कीटनाशक उपकरण बनाने का कारखाना		5000
40	दवाऐं बनाने का कारखाना।		3000
41	फलोर मिल		5000
42	कत्था फैक्ट्री		2000
43	पम्पसैट फैक्ट्री		3000
44	विधुतउपकरण बनाने की फैक्ट्री (जिसके अन्तर्गत जैनरेटर लगाना सम्मिलित हो।		3000
45	कारपेट फैक्ट्री(शक्ति चलित)		2500

अपर मुख्य … अधिकारी
जिला … सागर

46	तेल मिल		3000
47	कारपेट फैक्ट्री (खड्डी वाली)		2500
48	आटा चक्की	25	300
49	सबुन बनाने का कारखाना (लघु उद्योग)		300
50	साबुन बनाने का कारखाना (फैक्ट्र)	0	2000
51	कोल डिपो	0	1000
52	पेन्ट वार्निश फैक्ट्री	0	4000
53	फार्मेशी	0	5000
54	पेठा बनाने का कार खाना	0	800
55	हैंगर मशीन	0	200
56	प्रेस मशीन	0	200
57	चौवे बनाने की मशीन	0	100
58	डाई बनाने की मशीन	0	300
59	अन्य प्रकार की मशीन	0	200
60	लकड़ी कटर	0	500
61	कागज के डिब्बे बनाने का कारखाना	0	500
62	टियाशिलाई बनाने का कारखाना	0	1000
63	आक्सीजन बनाने का कारखाना	0	2000
64	दूध का सम्भरण (डेरी)	0	2000
65	सीमेन्ट खाँद या अन्य वस्तुओं का सम्भरण	0	1000
66	शराब का सम्भरण	0	5000
67	प्लाईवुड बनाने का कारखाना	0	1000
68	गुटका तम्बाकू बनाने का कारखाना	0	1000
69	ट्रांसफार्मर बनाने का कारखाना	0	5000
70	पंखे बनाने का कार खाना	0	5000
71	शीतल पेय आदि का सम्भरण	0	2000
72	शीशा सम्भरण	0	2000
73	छपाई का कारखाना	0	1000
74	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	0	1000
75	खड़िया मिट्टी की चाक बनाने का कार खाना		400
76	रिंग बनाने का कार खाना		5000
77	ट्रैक्टर की एजेंसी		5000
78	अन्य कोई कारखाना जो कि उपरोक्त क्रमांको में शामिल न हो।		100
79	तेल निकालने का कोल्हू, ऊन धुनने की मशीन, चक्की में एव एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही अहाते में होने पर शुल्क प्रतिवर्ष पृथक–पृथक देय होगा। इसी प्रकार अन्य एक से अधिक व्यय साथ यदि एक हि अड़ाते में हैं तो उन पर शुल्क पृथक–पृथक देय होगा।		

भाग—3

1—कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत, आगरा के अधिकार क्षेत्र में उक्त व्यवसाय नही करेगा जब तक कि वह जिला पंचायत,आगरा से लाईसेंस प्राप्त न कर लें।

2—लाईसेंस की अवधि दिनाँक 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर वित्तीय वर्ष के अन्त तक यानि कि 31 मार्च तक रहेगी।

3—यदि कोई लाईसेंस इस कार्यालय के किसी भी अवधि में लिया जाये 31 मार्च तक ही लागू रहेगा।

4—प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक लाईसेंस नवीनीकरण न कराने पर माह मई व जून में 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा तथा जून

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा